

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / वी-37 / 2019 /

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती विमला कुमारी बैरवा, ग्रामीण नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सआदत चिकित्सालय, टोंक का पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर निम्नानुसार आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	27.08.2009	15.09.2009	20	असाधारण अवकाश

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 22.05.2009 के अनुशरण में तीन माह से अधिक अवधि की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल की अभिवृद्धि की अनुशंसा सहित कार्मिका का उक्त अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाना है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F) / वी-37 / 2019 / 1133

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सआदत चिकित्सालय, टोंक।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 6/9/19



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर